राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8040/2024

जय सिंह पुत्र श्री प्रह्लाद सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी उथवलिया पुलिस स्टेशन, रतननगर, जिला चूरू। (जिला जेल, चूरू में बंद) ----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य पी.पी. के माध्यम से ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री जय किशन हनिया।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री लक्ष्मण सोलंकी, पी.पी.

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट योग्य</u>

16/07/2024

1. आवेदक पुलिस थाना रतननगर, जिला चूरू में दर्ज एफआईआर संख्या 97/2017 के तहत दर्ज अपराध के संबंध में गिरफ्तार है, जो मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/15, 25, 29 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में है। उसने धारा 439 सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए इस आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. जमानत के प्रश्नों के संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच करने से पहले, वर्तमान मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताना उचित होगा जो इस प्रकार हैं कि 16.12.2017 को सुखदेव और जय सिंह (याचिकाकर्ता) एक वाहन में 91.800 किलोग्राम प्रतिबंधित पोस्ता-भूसा ले जाते हुए पाए गए। रात का समय होने के कारण वे अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस पार्टी की पकड़ से बचकर भाग गए। काफी प्रयासों के बाद उन दोनों को पकड़ लिया गया।

3. सबसे पहले, आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री जय किशन हनिया ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि सह-आरोपी के खिलाफ मुकदमे के दौरान जब्ती अधिकारी और जांच अधिकारी का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने सह-आरोपी सुख देव के खिलाफ पारित 28.03.2022 के बरी करने के फैसले की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला पहले ही संदिग्ध पाया गया है।

4. प्रस्तुतियाँ समाप्त करते हुए, उन्होंने दावा किया कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक श्री लक्ष्मण बिश्नोई ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा की गई विभिन्न प्रस्तुतियों पर आपत्ति करते

हुए दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि आवेदक से बरामद 91.800 किलोग्राम प्रतिबंधित पोस्ता-भूसा वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आता है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध लागू होता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच अभी भी प्रगति पर है। उन्होंने आगे कहा कि जब्ती और नमूनाकरण प्रक्रिया के अनुरूप था और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा बताई गई कमियां तथ्यात्मक मुद्दे हैं जिन पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है और केवल परीक्षण के बाद ही निर्णय लिया जाना है। आगे यह तर्क दिया गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त रूप से पालन किया गया था; इस बात के पुख्ता सबूत रिकॉर्ड में दिए गए हैं कि जमानत याचिकाकर्ता नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त है; याचिकाकर्ता किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता एक ड्रग पेडलर है। इसलिए, वह आवेदक की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करता है।

6. मैंने आवेदक के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

7. आवेदक के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्यों को देखने के पश्चात, मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि मामले के अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है, जिससे आवेदक को 91.800 किलोग्राम प्रतिबंधित पोस्ता-भूसा की वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी के आरोप से जोड़ा जा सके। अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वर्तमान मामले में, जांच के पश्चात, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता जय सिंह प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती के समय सह-आरोपी सुखदेव के साथ था। हालांकि, याचिकाकर्ता को प्रयासों के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा सका और जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में सीआरपीसी की धारा 229 के

तहत आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस स्तर पर भी, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुवर्ती आरोप-पत्र दाखिल किया जाना बाकी है और जांच जारी है।

8. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह न्यायालय इस दृढ़ मत पर है कि चूंकि याचिकाकर्ता से बरामद की गई मनोविकार नाशक दवा की मात्रा अनुसूची में निर्धारित वाणिज्यिक मात्रा से काफी अधिक है, इसलिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध स्पष्ट रूप से उसके विरुद्ध हैं और इसलिए, वह इस स्तर पर जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

9. मामले के इस दृष्टिकोण से, मैं आवेदक जय सिंह को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जाता है।

10. यहां पर जो कुछ भी देखा गया है, उसे मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इसका उद्देश्य केवल वर्तमान आवेदन पर निर्णय लेना है।

(राजेन्द्र प्रकाश सोनी), जे.

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।